

प्रेस विज्ञप्ति

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं अवैध शराब निष्कर्षण, परिवहन एवं बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश के क्रम में अभियान को सफल बनाने हेतु दिनांक 10.09.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आबाकारी अधिनियम के तहत 83 शीशी अवैध शराब की बरामदगी करते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया। थानों द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्न है।

थाना-दीदारगंज

53 शीशी अवैध शराब के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित/ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवं परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन में दिनांक 10.09.2020 को उ०नि० जावेद अख्तर थाना दीदारगंज मय हमराही का 0 दिनेश सोनकर, का० सुनील प्रजापति व का० राजू गौड को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति झोले में अवैध शराब लेकर गद्वोपुर बाजार से ग्राम बिहटा की तरफ जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर दो व्यक्तियों को क्रमशः 1. शिवपूजन चौहान पुत्र श्री राधेश्याम चौहान निवासी ग्राम बिहटा थाना दीदारगंज, जिला आजमगढ़ को 25 शीशी अवैध शराब तथा 2. दिवाकर चौहान पुत्र अरुण कुमार चौहान निवासी खोजापुर थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ हाल पता ग्राम बिहटा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को 28 शीशी अवैध शराब के साथ ग्राम बिहटा से समय 17.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०स०-151/20 धारा 60 आबाकारी अधिनियम बनाम शिवपूजन चौहान तथा मु०अ०स०- 152/20 धारा 60 आबाकारी अधिनियम बनाम दिवाकर चौहान के पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

- 1- शिवपूजन चौहान पुत्र श्री राधेश्याम चौहान निवासी ग्राम बिहटा थाना दीदारगंज, जिला आजमगढ़
- 2- दिवाकर चौहान पुत्र अरुण कुमार चौहान सा० खोजापुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ हाल पता बिहटा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

- 1- मु०अ०स० 151/20 धारा 60 आबाकारी अधिनियम थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़
- 2- मु०अ०स० 152/20 धारा 60 आबाकारी अधिनियम थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

बरामदगी

- 1- 25 शीशी अवैध देशी शराब नाजायज
- 2- 28 शीशी अवैध देशी शराब नाजायज

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

- 1- उ०नि० जावेद अख्तर थाना दीदारगंज मय हमराह जनपद आजमगढ़।

थाना-मेहनाजपुर

15 शीशी अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 10.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक मेहनाजपुर मय हमराहियान द्वारा SHO रत्नेश कुमार सिंह मय हमराहीयान के साथ देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित अपराधी व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन इटैली तिराहे पर मामूर था की जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की एक ब्यक्ति झोले में 15 शीशी अवैध शराब लेकर मेहनाजपुर से इटैली की तरफ आ रहा है मुखबिर की इस सूचना पर विश्वास करके मुखबिर को साथ लेकर मय हमराहियान के इटैली पेट्रोल पंप के पास खड़े होकर उसके आने का इंतजार करने लगे की एक ब्यक्ति अपने हाथ में झोला लेकर आता हुआ दिखाई दिया की मुखबिर खास द्वारा बताया गया की साहब यही वह व्यक्ति है जो नजायज शराब लेकर आ रहा है कहकर हट बढ गया वह व्यक्ति हम पुलिस वालो

को देखकर पीछे मुड़कर तेज कदमो से मेहनाजपुर की तरफ जाने लगा की हम पुलिस वाले हिकमत अमली का प्रयोग कर 20-25 जाते जाते पकड लिए पकडे गए ।

पूछताछ विवरण : गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार कर रहा है ।

अपराध का तरीका : लूक छिपकर देशी अवैध शराब शीशी का विक्री करना ।

पंजीकृत अभियोग :

1- मु.अ.स.90/20 धारा 60 EX ACT

बरामदगी : एक झोले में 15 शीशी नजायज शराब बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्त :

1 शमसुद्दीन पुत्र स्व. आजाद ग्राम गनीपुर डगरहा थाना मेहनाजपुर आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1.SHO रत्नेश कुमार सिंह मय हमराह थाना-मेहनाजपुर, आजमगढ़ ।

थाना-मेहनाजपुर

15 शीशी अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक-10.09.2020 उपनिरीक्षक SI प्रमोद कुमार सिंह मय हमराहीयान के साथ देखभाल क्षेत्र व भ्रमण ,तलाश वांछित अभियुक्तगण /चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति /वाहन क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की एक व्यक्ति साईकिल से झोले में शराब अवैध देशी लेकर सिधौना से इटैली की तरफ आ रहा है । मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास कर मुखबीर को साथ लेकर मय हमराही को साथ लेकर मकसद बताकर सिधौना की तरफ जा रहा था कि रामनगर गावं के सामने मेहनाजपुर देवगावं रोड पर एक व्यक्ति साईकिल की हैंडिल में झोला टांगे इटैली की तरफ आ रहा था मुखबिर खास द्वारा बताया गया कि साहब यह वही व्यक्ति है जो नाजायज शराब लेकर आ रहा है कह कर हट बढ गया वह व्यक्ति हम पुलिस वालो को देखकर साईकिल पीछे मोड़कर साईकिल पर चढ़कर भागना चाहा कि हम पुलिस वाले हिकमत अमली का प्रयोग कर घेरकर रामनगर पुलिया से करीब 10-15 कदम सिधौना की तरफ जाते जाते पकड लिए पकडे गए ।

पूछताछ विवरण : गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार कर रहा है ।

अपराध का तरीका : लूक छिपकर देशी अवैध शराब शीशी का विक्री करना ।

पंजीकृत अभियोग :

1- मु.अ.स.89/20 धारा 60 EX ACT, थाना-मेहनाजपुर, आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त :

1. संजय कुमार पुत्र छांगुर राम ग्राम विशम्भरपुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी :

1- एक झोले में 15 शीशी नजायज शराब बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली टीम :

1.SI प्रमोद कुमार सिंह मय हमराह थाना-मेहनाजपुर, आजमगढ़ ।